201/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	
29/9/22	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। मुलवाद के आदेशानुसार प्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिससे पाया कि प्रार्थीगण की ओर से मुलवाद विवादित भूमि को पुश्तैनी बताते हुए प्रार्थी संख्या 01 के नामान्तरण को निरस्त तोड़ कर खातेदारी घोषणा करवाने चाहते है। जो मुलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन इस्तगास प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को मुलवाद के निर्णय तक कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है कि दोनो पक्षकारान के मध्य विवाद आगे और नहीं बढ़े। विद्वान प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 26.2.2020 को मुलवाद के निर्णय तक कायम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर आदेश पश्चात हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा